

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-28-3-2017

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 5,01,00,000/- (पांच करोड़ एक लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 5,01,00,000/- (पांच करोड़ एक लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ०पृ०उ०

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
 12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
 13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
 14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिघान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-

2017

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 5,01,00,000/- (पांच करोड़ एक लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 5,01,00,000/- (पांच करोड़ एक लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।


- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ०पृ०उ०

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
 12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
 13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
 14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-06/2016 सा०-.....२३..... / पटना, दिनांक २४-३-२०१७
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी
होस्टल आदि 0003 सर्किट मवन) आवंटन

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	योग-वेतन एवं भत्ते
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	06 01	11 01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	0	0	0	0	0	60000	30,000	90,000
2	भोजपुर	0	0	0	0	0	20000	10,000	30,000
3	बक्सर	0	0	0	0	0	15000	8,000	23,000
4	कैमूर(भभुआ)	0	0	0	0	0	14000	7,000	21,000
5	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	16000	8,000	24,000
6	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	16000	8,000	24,000
7	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
8	पू०चम्पारण	0	0	0	0	0	16000	8,000	24,000
9	प०चम्पारण	2,00,000	3,00,000	5,000	3,500	2,000	10,000	4,000	5,24,500
10	शिवहर	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
11	वैशाली	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
12	दरभंगा	0	0	0	0	0	14000	7,000	21,000
13	मधुबनी	0	0	0	0	0	16000	8,000	24,000
14	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
15	सारण	0	0	0	0	0	12000	6,000	18,000
16	सिवान	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
17	गोपालगंज	0	0	0	0	0	12000	6,000	18,000
18	भागलपुर	0	0	0	0	0	14000	7,000	21,000
19	बांका	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
20	मुंगेर	0	0	0	0	0	12000	6,000	18,000
21	लखीसराय	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
22	जमुई	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
23	खगड़िया	0	0	0	0	0	12000	6,000	18,000
24	बेगूसराय	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
25	पूर्णिया	0	0	0	0	0	12000	6,000	18,000
26	कटिहार	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
27	अररिया	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
28	किशनगंज	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
29	सहरसा	1,00,000	1,25,000	8,000	3,000	3,000	10,000	5,000	2,54,000
30	मधेपुरा	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
31	सुपौल	0	0	0	0	0	8000	4,000	12,000
32	रोहतास	0	0	0	0	0	10000	6,000	16,000
33	नालन्दा	0	0	0	0	0	8000	4,000	12,000
34	गया	0	0	0	0	0	10000	5,000	15,000
35	नवादा	0	0	0	0	0	8000	4,000	12,000
36	जहानाबाद	0	0	0	0	0	8000	4,000	12,000
37	अरवल	0	0	0	0	0	7000	3,500	10,500
38	शेखपुरा	0	0	0	0	0	5000	2,500	7,500
	कुल योग -	3,00,000	4,25,000	13,000	6,500	5,000	4,75,000	2,38,000	14,62,500

contd....

0

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी
होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन

पृष्ठ-2/2

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	किरया महसूल एवं	सामग्री एवं पूर्तियाँ	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	मशीन एवं उपस्कर	कुल
		कूट संख्या - 13 01	13 04	13 06	14 01	21 01	28 01	52 01	
		11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना	1,50,000	1,50,000	15,000	0	20,50,000	18,50,000	50,000	43,55,000
2	भोजपुर	30,000	30,000	3,000	0	8,00,000	6,00,000	15,000	15,08,000
3	बक्सर	30,000	25,000	4,000	0	8,00,000	6,00,000	15,000	14,97,000
4	कैमूर(ममुआ)	25,000	25,000	3,000	0	5,00,000	5,00,000	10,000	10,84,000
5	औरंगाबाद	30,000	30,000	3,000	0	6,00,000	4,00,000	15,000	11,02,000
6	मुजफ्फरपुर	40,000	20,000	4,000	0	10,00,000	6,00,000	20,000	17,08,000
7	सीतामढ़ी	35,000	25,000	4,000	0	7,00,000	5,00,000	20,000	12,99,000
8	पू०चम्पारण	35,000	30,000	5,000	0	8,00,000	6,00,000	10,000	15,04,000
9	प०चम्पारण	35,000	30,000	5,000	0	8,00,000	6,00,000	10,000	20,04,500
10	शिवहर	25,000	20,000	3,000	0	4,00,000	4,00,000	10,000	8,73,000
11	वैशाली	25,000	25,000	4,000	0	7,00,000	5,00,000	15,000	12,84,000
12	दरभंगा	30,000	20,000	3,000	0	10,00,000	7,00,000	10,000	17,84,000
13	मधुबनी	30,000	30,000	3,000	0	6,00,000	5,00,000	15,000	12,02,000
14	समस्तीपुर	30,000	40,000	3,000	0	6,00,000	5,00,000	15,000	12,03,000
15	सारण	30,000	25,000	3,000	0	7,00,000	6,00,000	10,000	13,86,000
16	सिवान	25,000	20,000	3,000	0	4,00,000	4,00,000	10,000	8,73,000
17	गोपालगंज	1,50,000	1,00,000	3,000	10,000	2,00,000	2,00,000	10,000	6,91,000
18	भागलपुर	35,000	30,000	3,500	0	7,00,000	7,00,000	15,000	15,04,500
19	बांका	25,000	20,000	3,000	0	4,00,000	4,00,000	10,000	8,73,000
20	मुंगेर	1,00,000	3,00,000	5,000	0	3,00,000	3,00,000	15,000	10,38,000
21	लक्ष्मीसराय	25,000	25,000	4,000	0	2,25,000	2,25,000	15,000	5,34,000
22	जमुई	20,000	20,000	2,000	0	2,25,000	2,25,000	15,000	5,22,000
23	खगड़िया	25,000	25,000	2,500	0	5,00,000	5,00,000	15,000	10,85,500
24	बेगूसराय	30,000	20,000	3,000	0	5,00,000	5,00,000	15,000	10,83,000
25	पूर्णिया	1,00,000	1,00,000	5,000	70,000	10,00,000	12,00,000	1,50,000	26,43,000
26	कटिहार	30,000	25,000	3,000	0	6,00,000	6,00,000	15,000	12,88,000
27	अररिया	25,000	20,000	2,500	0	3,20,000	3,20,000	10,000	7,12,500
28	किशनगंज	30,000	30,000	3,000	0	4,00,000	4,00,000	15,000	8,93,000
29	सहरसा	50,000	1,00,000	5,000	50,000	10,00,000	15,00,000	10,000	29,99,000
30	मधेपुरा	25,000	25,000	2,500	0	3,30,000	3,30,000	15,000	7,42,500
31	सुपौल	20,000	30,000	2,000	0	4,00,000	4,00,000	20,000	8,84,000
32	रोहतास	25,000	20,000	3,000	0	5,00,000	5,00,000	15,000	10,79,000
33	नालन्दा	50,000	25,000	5,000	0	7,00,000	7,00,000	20,000	15,12,000
34	गया	35,000	40,000	5,000	0	10,00,000	5,00,000	15,000	16,10,000
35	नवादा	40,000	20,000	4,000	0	4,00,000	4,00,000	10,000	8,86,000
36	जहानाबाद	25,000	30,000	3,000	0	4,00,000	4,00,000	10,000	8,80,000
37	अरवल	30,000	30,000	3,000	0	3,00,000	3,00,000	10,000	6,83,500
38	शेखपुरा	70,000	2,00,000	2,500	0	5,00,000	5,00,000	10,000	12,90,000
	कुल योग -	15,70,000	17,80,000	1,42,500	1,60,000	233,50,000	209,50,000	6,85,000	501,00,000

(पांच करोड़ एक लाख रुपये) मात्र।

(Handwritten Signature)

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग